।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 120 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 08/07 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत चमोल पलेठी सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.088 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/122/2016/2295 दिनांक 17.02.2021 आपका पत्रांक 1137/24 एल0ए0 दिनांक 28.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, के अनुपालन में मांग पत्र पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में आपकी पत्र सं0 1137/24 एल0 ए0 दिनांक 28.06.2021 से संशोधित मांग पत्र उपलब्ध कराने लिखा गया है, वित्तीय वर्ष 2021–22 में संशोधित दरों से मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1– शर्त सं0 4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल 8.176 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुजौ मैकोट खसरा संख्या 1877 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्ष 2021–22 वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रति रू0 370902.00 की दर के अनुसार 8.176 है0 x 370902.00 = रू0 3032494.75 या धनराशि **रू0 30,32,495.00** ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की जायेगी।

2– शर्त सं0 05 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0,दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि **रू0 26,85,816.00** मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की जायेगी।

3– शर्त 03 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्वता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम सतर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4– शर्त 07 के अनुसार एन0पी0वी एवं वृक्षारोपण की कुल धनराशि **रू0 57,18,311.00** मात्र ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी।

अतः मांग पत्र को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त सं0 04 व शर्त सं0 05 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तो के अनुपालन की वचनबद्वता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन–तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए आख्या को ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।